

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आश्रयकत्वमय प्रमाणित विवरण आहरण/सदाम लेखन अथवा अन्य स्वीकृत बनाया जायेगा एवं ही निर्माणानुसार ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समितियों द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। कृपया ध्यान रखें कि प्रायोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं माप में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उरी व्यवस्था में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परिचालन एवं गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कार्ट एसकेलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
6. सूझ/झूठा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिधाय के अन्तर्गत होने एवं कार्य की दिरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूझ/झूठा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीटू आवासी के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सम्बन्धित अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूझ/झूठा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासी के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समितियों द्वारा अधिसूचित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित झूठा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिचारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित झूठा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उपरानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊधर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्ररनगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

14. इस धराराशि का उपयोग वास्तु विधीय वर्ष 2015-16 में यथा कालेतर अवधि तक किया जाय। योजना समेत प्रथम विस्तार के रूप में स्वीकृत ठकान धराराशि को 75 प्रतिशत धराराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सर्पेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से सङ्गत होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त का समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् योजना की अवधि/द्वितीय विस्तार की धराराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धराराशि यदि कोई हो, तो एकमुस्त शरारत को वापस करनी होगी।
 15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का निम्न महसुलाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायेगे।
 16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण ड्रानई से यथाव्यवस्था धराराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एमओओवू) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित ड्रान का निर्देशित किया जायेगा।
 17. स्वीकृत की जा रही धराराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एनओसी/एसओपी/टीओएसओपी हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुमुदित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धराराशि का व्यय वास्तु विधीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेख शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिचय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-789-अनुमुदित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-दृष्ट निर्माण कार्य।" के नामे धाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशाओ संख्या-ई-3 2287/दस-2015 दिनांक 14 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
/s/ (एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-21/2015/1674(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महसुलाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरौजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय विधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, 15डवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बरेली।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गाई फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट सहायक।

आजा से,
/s/ (एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव।